

09.1.23 नोरिश का तामिला अप्राप्त है।
 प्रथम पक्ष - वाद वापस लेने हेतु
 आवेदन दिया गया है।

03.2.23 नोरिश का तामिला अप्राप्त है।
 प्रथम पक्ष - की हाजरी है।

13.2.23 अभिलेख उपस्थापित।
 धाना वे नोरिश तामिला अप्राप्त।
 प्रथम पक्ष के द्वारा - मायालय
 आवेदन सन्निहित कर अनुसंध किया
 कि वादवात खाता न0 27 फ्लॉइ न
 से बाहर हो जाना है। इसलिए
 की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया।
 अतः वाद की कार्यवाही को ल
 कर अभिलेख को बन्द किया।